

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

आदेश

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय -VIII के अन्तर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण हेतु उपकर के अधिरोपण, संग्रहण, आकलन एवं निर्धारण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

उक्त संहिता की धारा 103 तथा सामाजिक सुरक्षा (केन्द्रीय) नियम, 2026 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन नियोक्ता द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों के संबंध में उपकर का स्व-आकलन एवं भुगतान किए जाने तथा निर्धारण पदाधिकारी द्वारा उपकर की देयता के सत्यापन एवं निर्धारण प्रावधान किया गया है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों पर देय उपकर के आकलन एवं निर्धारण की प्रक्रिया को "समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी" बनाने तथा लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जहाँ किसी नियोक्ता द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में विवरणी, स्व-आकलित उपकर की राशि तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हों, वहाँ संबंधित "निर्धारण पदाधिकारी" पूर्ण विवरणी एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर" आकलन की कार्यवाही पूर्ण करने तथा, जहाँ आवश्यक हो, आकलन आदेश पारित करेगा।

यदि "निर्धारण पदाधिकारी" के समक्ष प्रस्तुत विवरणी अथवा स्व-आकलन में किसी प्रकार की विसंगति, कमी, उपकर की कम गणना अथवा अन्य तथ्यात्मक या वित्तीय त्रुटि पाई जाती है, तो निर्धारण पदाधिकारी नियोक्ता को ऐसी विसंगतियों से अवगत कराते हुए निर्धारित अवधि के भीतर स्पष्टीकरण एवं संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सूचना निर्गत करेगा।

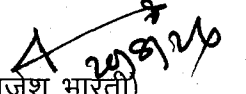
नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात निर्धारण पदाधिकारी, आवश्यकतानुसार नियोक्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए, देय उपकर की राशि का निर्धारण करेगा तथा 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आकलन आदेश पारित करने की कार्यवाही पूर्ण करेगा।

90 दिनों की अवधि की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस दिन "निर्धारण पदाधिकारी" के समक्ष पूर्ण विवरणी एवं सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हो जाएँ।

जहाँ प्रस्तुत आवेदन/विवरणी अथवा दस्तावेज अपूर्ण पाए जाते हैं, वहाँ "निर्धारण पदाधिकारी" द्वारा कमियों की सूचना नियोक्ता को दी जाएगी तथा आवश्यक कमियों की पूर्ति के पश्चात् प्राप्त पूर्ण विवरणी की तिथि से उक्त समय-सीमा की गणना की जाएगी।

जहाँ उपकर के सही निर्धारण हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण, निर्माण की लागत का सत्यापन, अभिलेखों की जाँच अथवा किसी तकनीकी विशेषज्ञ की राय आवश्यक हो, वहाँ "निर्धारण पदाधिकारी" ऐसी कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराएगा तथा यथासंभव निर्धारित 90 दिनों की अवधि के भीतर आकलन की कार्यवाही पूर्ण करेगा।

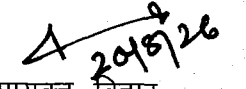
इस आदेश में समय-सीमा निर्धारित करने का उद्देश्य आकलन की प्रक्रिया को समयबद्ध एवं प्रभावी बनाना है। इस अधिसूचना की कोई भी बात "सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में निहित किसी वैधानिक प्रावधान, प्रक्रिया, अधिकार अथवा नियोक्ता को प्रदत्त सुनवाई के अवसर को सीमित या प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी।"


(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-01/Coss 10- 01/2020, श्र०सं०-.....5008

पटना, दिनांक- 20/8/26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग/ सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ श्रमायुक्त, बिहार/ सचिव,बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड/ अपर श्रमायुक्त/ सभी संयुक्त श्रमायुक्त/ सभी उप श्रमायुक्त/ सभी सहायक श्रमायुक्त/ सभी श्रम अधीक्षक/ सभी श्रम अधीक्षक अधिनियम/ मुख्य कारखाना निरीक्षक/ सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/ सभी कारखाना निरीक्षक/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


श्रमायुक्त, बिहार